रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 260] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 24, 1994/ज्येष्ठ 3, 1916
No. 260] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 24, 1994/JYAISTHA 3, 1916

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मई, 1994

का. आ. 392 (अ).—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 243 य ख के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देते हैं कि संविधान के भाग-IX क के उपबंध निम्नलिखित अपवादों और आशोधनों के अध्यधीन चण्डीगढ़ नगर निगम पर लागू होंगे, अर्थात् :—

1. अनुच्छेद 243 द में खण्ड (1) में, "किसी नगरपालिका में सभी स्थान प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गये व्यक्तियों से भरे जाएंगे" शब्दों के लिए "चण्डीगढ़ नगर निगम में प्रशासक द्वारा नाम से या पद से नामित किये जाने वाले नौ सदस्य और प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गये दस सदस्य होंगे" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;

2. अनुच्छेद 243 फ के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) के परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह और कि कोई भी व्यक्ति चण्डीगढ़ नगर निगम के सदस्य के रूप में नामित किये जाने के लिए इस आधार पर कि वह लाभ के पद पर है, लोक सभा के चुनाव के प्रयोजनार्थ फिलहाल लागू किसी भी कानून के अंतर्गत अयोग्य नहीं होगा"।

3. अनुच्छेद 243 म में, "राज्यपाल" शब्द जहां कहीं भी आता हो, के लिए "राष्ट्रपति" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. यू-11014/1/93-यू.टी.एल.]
आर. के. अहूजा, विशेष सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th May, 1994

S.O. 392(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 243 ZB of the Constitution, the President hereby directs that the provisions of Part IX A of the Constitution shall apply to the Municipal Corporation of Chandigarh subject to the following exceptions and modifications, namely :—

1. In article 243R, in clause (1), for the words "all the seats in a Municipality shall be filled by persons chosen by direct election", the words "the Municipal Corporation of Chandigarh may comprise of nine members to be nominated by the Administrator either by name or by office and ten members chosen by direct election" shall be substituted ;

2. In article 243V, in clause (1), after proviso to sub-clause (a), the following shall be inserted, namely :—

"Provided further that no person shall be disqualified for being nominated as a member of the Municipal Corporation of Chandigarh on the ground that he holds an office of profit for purposes of election to the House of the People under any law for the time being in force".

3. In article 243Y, for the word "Governor", wherever it occurs, the word "President" shall be substituted.

[F. No. U-11014|1|93-UTL]
R. K. AHOOJA, Spl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994